रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1555] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2014/श्रावण 10, 1936
No. 1555] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2014/SHRAVANA 10, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बेंगलुरू-I आयुक्तालय)

अधिसूचना

बेंगलुरू, 12 जून, 2014

सं. 03/2014-सी.शु. (एन.टी.)

का.आ. 1985 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खंड (क) के अधीन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 33/94-सी.शु. (एन.टी.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कर्नाटक के बेंगलूर जिले में स्थित सर्वे सं. 16/1, कोंगनहल्लि विलेज, क्य्वारा होबली, चिंतामनि तालूक, चिक्कबल्लापुर-563 128 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अधीन 100% निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.) को स्थापित करने की, सीमित उद्देश्य के लिए भांडागार स्टेशन एतद्द्वारा घोषित करता हूँ।

[फा. सी. सं. IV/16/141/2013 तक बें-I]
अशोक, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Office of the Commissioner of Central Excise)

(Bengaluru I, Commissionerate)

NOTIFICATION

Bangalore, the 12th June, 2014

No. 03 / 2014-Cus. (NT)

S. O. 1985 (E).—In exercise of powers delegated to the undersigned vide Notification No. 33/1994-Cus (NT), dated 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I, hereby declare Sy. No. 16/1, Konganahalli Village, Kywara Hobli, Chintamani Taluk, Chikkaballapur District 563 128, in the State of Karnataka to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962, for the limited purpose of setting up of 100% EOU.

[F. C. No. IV/16/146/2014 Tech B-I]

ASHOK, Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.